उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपकम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्याः 110–अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2017 दिनांकः 20.06.2017

कार्यालय ज्ञाप

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनाँक 27.04.2012 में उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा–3(7) तथा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक वरिष्ठता (तृतीय संशोधन) अधिनियम–2007 द्वारा निविष्ट नियम–8(क) को ultra vires घोषित किये जाने तथा उक्त के अनुपालन में उ0प्र0 शासनादेश संख्या–4/1/2002 टी.सी.–1–का–2/2012, दिनाँक 08.05.2012 के अनुक्रम में निर्गत समसंख्यक शासनादेश दिनाँक 13.05.2012 के प्रस्तर 6(ख)(अ) में निहित निर्देश के समादर में, श्री राकेश कुमार भारती, आर–1213 (अनु0जा0) को धारा–3(7) का लाभ प्रदान करते हुये वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी के पद पर दी गयी प्रोन्नति को निरस्त करते हुए पोषक संवर्ग की एकल ज्येष्ठता सूची के कमानुसार संगत तिथि से वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी के पद पर चयन विनियमित किये जाने हेतु उनका प्रकरण दिनांक 07.09.2015 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में विचारित किया गया ।

यतः श्री राकेश कुमार भारती, आर–1213 (अनु0जा0) दिनांक 07.09.2015 को निलम्बित चल रहे थे अतएव उन्हें उक्त तिथि को वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी के पद पर चयनित नहीं किया जा सका । अब श्री भारती का निलम्बन समाप्त हो गया है तथा उक्त प्रकरण में उन्हें कार्यालय ज्ञाप संख्या 2718–पूवविनिलि(वा)/अनु0का0/डीपी/श्री भारती, दिनांक 29.12.2016 द्वारा संचयी प्रभाव से 02 वेतनवृद्धि रोकने का दण्ड प्रदान करते हुए अन्तिम रूप से प्रकरण को निस्तारित कर दिया गया । इसके दृष्टिगत श्री भारती को उनकी वरिष्ठता कम के अनुसार संगत तिथि से वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी के पद पर पुनर्चयनित किये जाने हेतु दिनांक 09.06.2017 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में उनका प्रकरण विचारित किया गया एवं वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी के पद पर चयन हेतु उपयुक्त पाया गया ।

विभागीय चयन समिति द्वारा की गई संस्तुति के दृष्टिगत श्री राकेश कुमार भारती, आर–1213 (अनु0जा0), कार्मिक अधिकारी को वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी के पद पर दिनांक 29.01.2013 से प्रकल्पित प्रोन्नति प्रदान करते हुए स्तम्भ सं0–3 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर स्तम्भ संख्या–04 में उल्लिखित निगम/कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आवण्टित/तैनात किया जाता है।

क्र0 सं0	नाम/सम्प्रेक्षा संख्या/गृह जनपद/ सेवानिवृत्ति का दिनाँक	वर्तमान पदनाम एवं कार्यालय/स्थान	प्रोन्नति के पश्चात पदनाम एवं कार्यालय/आबण्टित निगम
1	2	3	4
1.	श्री राकेश कुमार भारती/(अनु0जा0)/ आर–1213 /चन्दौली/31.01.2029	कार्मिक अधिकारी (सम्बद्ध) मुख्य अभियन्ता (वितरण), मीरजापुर	वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ

1. कार्यालय ज्ञाप संख्या 440–काविनी/पाकालि–29/2000 दिनांक 01.06.2000 में निहित प्राविधानानुसार अगले पद पर प्रोन्नति हेतु अर्हकारी सेवा की गणना श्री राकेश कुमार भारती को नोशनल प्रोन्नति की तिथि से की जायेगी तथा वेतन निर्धारण का प्रकरण कारपोरेशन के आदेश संख्या–60–विनियम एवं काविनी/पाकालि, दिनांक 21.08.2015 में निहित प्राविधानों के दृष्टिगत निस्तारित किया जायेगा।

2– उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनाँक 21.3.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

3– सम्बन्धित निगम के प्रबन्ध निदेशक का यह दायित्व होगा कि वे आवंटित अधिकारी की तैनाती उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की वर्तमान स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे ।

4– उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।

5– नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0–5910–गोपन/पाकालि(06)–2001 दिनाँक 11.6.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

प्रबन्ध निदेशक

संख्याः110—डीएस—अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2017 तद्‌दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. मा0 ऊर्जा मंत्री/मा0 ऊर्जा राज्य मंत्री जी के निजी सचिव, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल/मध्यान्चल/पूर्वान्चल/पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/केस्को लिमिटेड, कानपुर के निजी सचिव ।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर—1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर—2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रान्समिशन का0लि0।
6. विधि अधिकारी/समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
8. उप सचिव (गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,

(अरूण कुमार राय)
उप सचिव (2अ)